न्यायालयः सत्र न्यायाधीश, गाजियाबाद।
उपस्थितः विनोद सिंह रावत (उच्चतर न्यायिक सेवा)
J.O. Code – UP 1893

अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र संख्या– 1233/2026
कम्प्यूटर रजिस्ट्रेशन नं०– 2988/2026
(CNR No: UPGZ010065512026)

1. नवीन गौतम (पति) पुत्र श्री सुरेश चप्द निवासी ई–9 जे जे कालोनी रघुवीर नगर दिल्ली।
2. सुरेश चन्द (ससुर) पुत्र स्व० श्री रामपाल निवासी ई 173 टैगोर गार्डन एक्टेशन दिल्ली
3. श्रीमती धर्मवती (सास) पत्नी श्री सुरेश चन्द निवासी ई 173 टैगोर गार्डन एक्टेशन दिल्ली।

...................आवेदक/अभियुक्तगण

बनाम

उ०प्र०सरकार ... .विपक्षी

मुकदमा अपराध संख्या 178/2026
धारा–85, 352, 351(3) बी.एन.एस.
थाना –लोनी बोर्डर, जिला गाजियाबाद।

....

आदेश

03.06.2026

1. यह अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र आवेदक/अभियुक्तगण नवीन गौतम, सुरेश चन्द एवं श्रीमती धर्मवती की ओर से उपरोक्त मामले में स्वयं को अग्रिम जमानत पर रिहा किये जाने हेतु प्रस्तुत किया गया है।

2. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से इस आशय का शपथपत्र दिया गया है कि उसका यह प्रथम अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र है, इसके अलावा अन्य कोई अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र किसी अन्य न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय में लम्बित नहीं है।

3. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से कहा गया है कि आवेदक/अभियुक्तगण निर्दोष है। आवेदक/अभियुक्तगण ने कोई अपराध कारित नहीं किया है। आवेदक / अभियुक्तगण ने दहेज की कोई मांग नहीं की और न ही कोई गाली गलौंज व जान से मारने की धमकी दी गयी है। आवेदक/अभियुक्तगण पीडिता का पति, सास व ससुर हैं। आवेदक/ अभियुक्तगण सम्मानित परिवार के सदस्य हैं।

4. आवेदक/अभियुक्तगण के विद्वान अधिवक्ता एवं विद्वान जिला शासकीय अधिवक्ता फौजदारी के तर्को को सुना तथा संलग्न प्रपत्रों का परिशीलन किया।

5. प्रपत्रों के अवलोकन से विदित है कि पक्षकारों के मध्य वैवाहिक सम्बन्धों को लेकर विवाद उत्पन्न हुआ है। आवेदक/अभियुक्तगण पीडिता का पति, ससुर व सास है। न्यायहित में आवेदक/अभियुक्तगण को अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। तदनुसार आवेदक/अभियुक्तगण उपरोक्त प्रत्येक द्वारा पचास हजार रूपये का व्यक्तिगत बंध पत्र व समान धनराशि की दो –दो प्रतिभू सम्बन्धित न्यायालय की सन्तुष्टि के अनुरूप दाखिल करने पर उन्हें अंतरिम अग्रिम जमानत प्रदान की जाए।

6. आवेदक/अभियुक्तगण की ओर से पक्षकारों के मध्य मध्यस्थता कराये जाने हेतु

Digitally signed by Vinod Singh Rawat
Date: 2026.06.03 16:47:42 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

याचना की गयी है। अतः उभय पक्ष व्यक्तिगत रूपसे न्यायालय में उपस्थित हों। **वादिनी को नियत दिनांक के लिए नोटिस सम्बन्धित थाने के माध्यम से प्रेषित हो।**

7. अग्रिम जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 10.06.2026 को सुनवाई हेतु पेश हो। नियत दिनांक के लिए सम्बन्धित थाने से केस डायरी आहूत हो।

(विनोद सिंह रावत)
सत्र न्यायाधीश,
गाजियाबाद।

दि० 03.06.2026